



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 485 राँची, बुधवार,
2 श्रावण, 1946 (श०)
24 जुलाई, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

11 जुलाई, 2024

संख्या-07/हो०गा०(स्था०)-01/2013-3964--भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक सहपठित_झारखंड गृह रक्षक अधिनियम 2005 [झारखण्ड अधिनियम-03, 2006] की धारा 12 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नांकित संशोधन नियमावली गठित करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

- यह नियमावली **झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024** कहलाएगी।
- इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- यह नियमावली झारखण्ड ई-गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 सह झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 (अधिसूचना सं०-3364, दिनांक-29.07.2022), नियम 6(क) (iv) में सिपाही की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता के संबंध में **निम्न प्रावधान हैं:-**

"सिपाही की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता/आयु सीमा/शारीरिक अर्हता/चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी, जो पुलिस संवर्ग के आरक्षी की नियुक्ति हेतु निर्धारित हैं।"

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।'

सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक / 10वीं तथा अन्य अर्हता झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी ।

इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के गजट सं०- 421, दिनांक-12/08/2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा ।

" को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"सिपाही की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता/आयु सीमा / शारीरिक अर्हता / चयन हेतु जाँच परीक्षा वही होगी, जो पुलिस की नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित है ।"

3. झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 सह झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 (अधिसूचना सं०-3364, दिनांक-29.07.2022), नियम 6 (ख) (iv) में सिपाही (चालक) की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता के संबंध में निम्न प्रावधान हैं :-

"सिपाही चालक की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता/आयु सीमा/शारीरिक अर्हता/चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी, जो पुलिस संवर्ग के पुलिस चालक की नियुक्ति हेतु निर्धारित है ।"

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।'

सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक / 10वीं तथा अन्य अर्हता झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी ।

इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के गजट सं०- 421, दिनांक- 12/08/2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा ।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"सिपाही चालक की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता/आयु सीमा / शारीरिक अर्हता / चयन हेतु जाँच परीक्षा वही होगी, जो पुलिस चालक की नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित है ।"

4. झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 सह झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी

(अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 (अधिसूचना सं०- 3364, दिनांक-29.07.2022), नियम 6 (ग) (iv) में सिपाही (बैण्ड/बिगुलर) की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता के संबंध में निम्न प्रावधान हैं:-

"सिपाही (वैण्ड/बिगुलर) की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता/आयु सीमा/शारीरिक अर्हता/चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी, जो पुलिस संवर्ग के पुलिस बैण्ड (सिपाही) की नियुक्ति हेतु निर्धारित है।

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक / 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक / 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।

सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक / 10वीं तथा अन्य अर्हता झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी।

इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के गजट सं०- 421, दिनांक- 12.08.2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"बैण्ड सिपाही की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता/आयु सीमा/शारीरिक अर्हता / चयन हेतु जाँच परीक्षा वही होगी, जो पुलिस बैण्ड की नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित है।"

5. झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 सह झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 (अधिसूचना सं० 3364, दिनांक 29.07.2022), नियम 7(क) (V) में अधिनायक (लिपिक) के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता के संबंध में निम्न प्रावधान हैं:-

"अधिनायक (लिपिक) के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 तथा अन्य अर्हता झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी।"

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इण्टरमीडिएट /10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति- रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होगा अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक / 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट /10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के गजट सं०-420, दिनांक- 12/08/2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

"सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 तथा अन्य अर्हता पुलिस नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी।"

6. झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 सह झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 (अधिसूचना सं० 3364, दिनांक-29.07.2022), नियम 7(क) (Vi) में अधिनायक लिपिक की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता के संबंध में निम्न प्रावधान हैं:-

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इण्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक / 10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति- रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होगा अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक / 10वीं कक्षा तथा इण्टरमीडिएट /10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।'

सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 तथा अन्य अर्हता झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी ।

इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के गजट सं०- 419, दिनांक- 12/08/2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा ।

" को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है -

"सीधी नियुक्ति के लिए अधिनायक लिपिक को कम्प्यूटर की जानकारी आवश्यक होगी, प्रोन्नत अधिनायक लिपिक को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जायेगा ।"

7. झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 सह झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 (अधिसूचना सं०- 3364, दिनांक-29.07.2022), नियम 7 (ख) (V) में अधिनायक अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता के संबंध में निम्न प्रावधान हैं :-

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-"अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इण्टरमीडिएट /10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक / 10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति- रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होगा अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक / 10वीं कक्षा तथा इण्टरमीडिएट /10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।'

अधिनायक अनुदेशक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 तथा अन्य अर्हता झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी।

इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के गजट सं0-420, दिनांक- 12/08/2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 तथा अन्य अर्हता पुलिस नियुक्ति हेतु झारखण्ड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी।"

8. झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 सह झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 (अधिसूचना सं०- 3364, दिनांक-29.07.2022), नियम 8 (ii) में गुल्म समादेशक (कम्पनी कमाण्डर) शैक्षणिक योग्यता के संबंध में निम्न प्रावधान हैं :-

"गुल्म समादेशक पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता एवं अर्हता वही होगी जो पुलिस संवर्ग में पुलिस अवर निरीक्षक के लिए निर्धारित है।"

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक / 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट /10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के गजट सं0-418, दिनांक- 12/08/2021 में अंकित अन्य शर्तें समान रूप से लागू रहेगा।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

"गुल्म समादेशक पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता एवं अर्हता वही होगी जो पुलिस विभाग में अवर निरीक्षक के लिए निर्धारित है।"

9. झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 सह झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 (अधिसूचना सं० 3364, दिनांक-29.07.2022), नियम 8(iii) में निम्न प्रावधान है :-

"सीधी भर्ती से नियुक्त गुल्म समादेशकों की आपसी वरीयता का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत नियम / परिपत्र के शर्तों के अनुरूप होगी।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

(क) ऐसे मामले में जहां संवर्ग में नियुक्ति, एक ही पंचांग वर्ष में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति द्वारा की गयी हो, वहां संवर्ग में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य से वरीय होगा।

(ख) खुली प्रतियोगिता के माध्यम से एक ही संव्यवहार में नियुक्त सदस्यों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में प्राप्तांक एवं प्रशिक्षण में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर विनिश्चित की जायेगी। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के प्राप्तांक के लिए पचहत्तर प्रतिशत तथा प्रशिक्षण के लिए पचीस प्रतिशत अधिमानता होगी। कुल प्राप्तांक की समानता की दशा में प्रशिक्षण में प्राप्तांक पर वरीयता विनिश्चित की जायेगी।

(ग) प्रोन्नति द्वारा संवर्ग में एक ही संव्यवहार में नियुक्त सदस्यों की आपसी वरीयता, सहायक गुल्म समादेशक सम्वर्ग में उनकी आपसी वरीयता के आधार पर विनिश्चित की जायेगी।

10. झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 के कंडिका-11 में **निम्न प्रावधान है :-**

"गृह रक्षा वाहिनी के कर्मचारी / पदाधिकारी का वर्दी, साजो-सज्जा इत्यादि पुलिस हस्तक के अनुरूप धारण करेंगे, परन्तु कंधा बैज में JHG धारण करेंगे।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"गृह रक्षा वाहिनी के कर्मचारी / पदाधिकारी का वर्दी, साजो-सज्जा इत्यादि पुलिस हस्तक के अनुरूप धारण करेंगे। सिपाही संवर्ग से कम्पनी कमाण्डर (गुल्म समादेशक) तक के कर्मी कंधा बैज में JHG धारण करेंगे तथा निरीक्षक एवं इससे उपर के पदाधिकारी JHS धारण करेंगे।"

11. झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 (अधिसूचना सं०-3364, दिनांक-29.07.2022), के नियम 12 में टंकण त्रुटि के कारण **जमादार लिपिक** के स्थान पर **जमादार प्रधान लिपिक** टंकित हो गया है।

झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 सह झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 (अधिसूचना सं०- 3364, दिनांक- 29.07.2022), नियम 8(v) शब्द समुह (अनुदेशक) और के पश्चात अंकित शब्द 'जमादार प्रधान लिपिक' को 'जमादार लिपिक' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

12. झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 [अधिसूचना सं०- 5995, दिनांक 12.11.2015 यथा संशोधित] एवं झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 [अधिसूचना सं०- 3364, दिनांक 29.07.2022] के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

13. विभागीय संलेख ज्ञापांक 2711, दिनांक-13.05.2024 के द्वारा उक्त पर मंत्रिपरिषद की दिनांक- 19.06.2024 को सम्पन्न बैठक में मद सं० 06 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव।
